न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 37 / 2018

आर0सी0एम0एस0 प्रकरण संख्या : 2018 / 00061

प्रार्थी:–	**बनाम**	**अप्रार्थीगण:–**
सरकार जरिये तहसीलदार भूमिधारी रायपुर		श्री बंशी पुत्र भंवरू के का0मु0 1. शिवलाल पुत्र बंशी 2. नैना पुत्र बंशी 3. प्रेम पुत्री बंशी 4. सुशीला पुत्री बंशी 5. गीता पुत्री बंशी जातिगण सरगरा निवासीगण रावणिया तहसील रायपुर जिला पाली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970

उपस्थिति –

1. सरकारी पैरोकार
2. अप्रार्थीगण अनुपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांक:– 07/06/2018

तहसीलदार रायपुर ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी जैतारण की अध्यक्षता में भू आवंटन एवं नियमन कमेटी द्वारा गत दिनांक 26.06.1976 को ग्राम रावणीया तहसील रायपुर के खसरा नम्बर 1056 / 325 रकबा 10 बीघा भूमि अप्रार्थीगण के पिता बंशी पुत्र भंवरूजाति सरगरा निवासी रावणीया को आवंटित हुई थी। आवंटन के पश्चात उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में आवंटी के नाम दर्ज हुई तथा आवंटी बंशी फौत होने के पश्चात उनके विधिक वारिशान अप्रार्थीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुआ। आवंटित भूमि पर वक्त आवंटन से आवंटी एवं उनके पश्चात उनके वारिशान का कब्जा काश्त नहीं रहा है। यह आवंटन शर्तो की अवहेलना है। इस कारण अप्रार्थी बंशी पुत्र भंवरू के नाम किया गया आवंटन निरस्त योग्य है। अतः आवंटन निरस्त किया जावे एवं भूमि राजस्व रेकर्ड में सिवायचक दर्ज करने का आदेश पारित करावें

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् के अनुसार आवंटन नियमन सलाहकार समिति की अनुशंषा पर उपखण्ड अधिकारी जैतारण द्वारा बंशी पुत्र भंवरू

अति० जिला कलेक्टर, पाली

जाति सरगरा निवासी रावणिया को ग्राम रावणिया के खसरा नम्बर 1056/325 रकबा 10 बीघा भूमि का आवंटन किया गया। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ खसरा गिरदावरी की प्रति प्रस्तुत की, जिसके अनुसार जैर प्रार्थना पत्र वादस्थ भूमि पर अप्रार्थी की काश्त दर्ज नहीं है। राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14 (3) के अनुसार आवंटिति को आवंटन के प्रथम वर्ष में भूमि के कम से कम 50 प्रतिशत भाग को जोतना पड़ेगा और शेष क्षेत्र को दूसरे वर्ष में जोतना आज्ञापक है। हस्तगत प्रकरण में आवंटी द्वारा आवंटित भूमि पर न तो कब्जा प्राप्त किया गया तथा न ही काश्त की गई है। यह स्थिति राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14 (3) का उल्लंघन है, जिसके कारण अप्रार्थीगण के पिता बंशी पुत्र भंवरू जाति सरगरा निवासी रावणिया को ग्राम रावणिया के खसरा नम्बर 1056/325 रकबा 10 बीघा भूमि का आवंटन दिनांक 26.06.1976 को कायम रखा जाना न्यायोचित नहीं है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के तहत स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के पिता बंशी पुत्र भंवरू जाति सरगरा निवासी रावणिया को ग्राम रावणिया के खसरा नम्बर 1056/325 रकबा 10 बीघा भूमि का आवंटन दिनांक 26.06.1976 को अपास्त किया जाता है एवं तहसीलदार रायपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त भूमि को राजस्व रेकर्ड में सिवायचक दर्ज कर भूमि को कब्जे राज लेवे। इस निर्णय की प्रतिलिपी तहसीलदार रायपुर को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 07/6/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली